जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-30.08.2025**

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तारः-

आज दिनांक 30.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त/अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मुसारिक पुत्र फरमान निवासी ग्राम जहानपुरा थाना कैराना जनपद शामली।

2.विजय मलिक पुत्र जितेन्द्र मलिक निवासी ग्राम काबडौत थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.श्रीमती मेमो पत्नी नरेन्द्र कुमार कश्यप निवासी मौहल्ला नई बस्ती पंसारियान बरखण्डी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>“ऑपरेशन सवेरा”</u>

<u>“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”</u>

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र में संचालित “ऑपरेशन सवेरा” अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी कैराना एवं प्रभारी निरीक्षक थाना कैराना द्वारा ग्राम गोगवान में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। उन्हें संबोधित करते हुए क्षेत्राधिकारी कैराना व प्रभारी निरीक्षक कैराना द्वारा बताया गया कि नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार व समाज को प्रभावित करता है। मादक पदार्थों की लत से व्यक्ति का स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक जीवन बुरी तरह प्रभावित होता है। उपस्थित ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई तथा नशामुक्त जीवन अपनाने की शपथ दिलाई गई। साथ ही, ग्रामीणों को यह भी बताया गया कि नशे का अवैध कारोबार करने वाले समाज के दुश्मन हैं, जिन्हें चिन्हित कर पुलिस को सूचित करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। समाज की सक्रिय भागीदारी से ही इस कुरीति पर पूर्ण रोकथाम संभव है।

इसके अतिरिक्त, साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा विषय पर भी ग्रामीणों को जागरूक किया गया। उन्हें ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, फिशिंग लिंक, सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी आदि अपराधों से बचाव हेतु आवश्यक सावधानियाँ बताई गईं साइबर अपराधों से बचाव के लिए प्रत्येक नागरिक का जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है।

इस प्रकार, ग्राम गोगवान में आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से “ऑपरेशन सवेरा” के तहत ग्रामीणों को नशे से दूर रहने और साइबर अपराधों से बचाव हेतु जागरूक कर समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया गया।

थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामलें में वाछिंत 02 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग से दुष्कर्म कर धमकी देने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 29.08.2025 को थाना कैराना पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनाँक 30.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म कर धमकी देने के मामले में वांछित 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.अब्दुल पुत्र मेहन्दी हसन निवासी ग्राम पंजीठ के पास अलखेर बस्ती थाना कैराना जनपद शामली।

2.गुलफाम पुत्र मेहन्दी हसन निवासी ग्राम मवी थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामलें में वाछिंत 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व धमकी देने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 25.08.2025 को थाना कैराना पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनाँक 30.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म कर धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.शाहरुख उर्फ मुन्ना पुत्र जमील निवासी ग्राम हैबतपुर थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर।

थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामलें में वाछिंत 25,000/- रुपये का ईनामी अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 11.02.2025 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के संबंध में पीड़िता के परिजन द्वारा थाना कैराना पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के सम्बन्ध पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक कैराना को दिये गये थे।

इसी क्रम में दिनाँक 30.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 25,000/- रुपये के ईनामी अभियुक्त अजय कुमार पुत्र मुकेश कुमार निवासी ग्राम गोगवान थाना कैराना जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.अजय कुमार पुत्र मुकेश कुमार निवासी ग्राम गोगवान थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया मोबाईल फोन बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 29.08.2025 को वादी श्री नईम पुत्र सईद निवासी मौहल्ला नई बस्ती शिवाला रोड़ थाना कांधला जनपद शामली के घर से अज्ञात चोर द्वारा मोबाईल चोरी कर लिया गया था। घटना के सम्बन्ध में वादी श्री नईम उपरोक्त की तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

इसी क्रम में आज दिनांक 30.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग व चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 चोर को चोरी किये गये मोबाईल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.आलिम पुत्र सलीम निवासी मौहल्ला शेखजादगान थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.मोबाईल फोन वीवो वी-30 ।

थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना थानाभवन पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 30.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व मे थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना थानाभवन पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.समर उर्फ सनव्वर पुत्र लियाकत निवासी मनवाड़ा रोड़ थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 464/2024 धारा 109(1)3(5) बीएनएस व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 657/2024 धारा 305(क)/331(4)/317(2)/61(2) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 658/2024 धारा 305(क)/331(4)/317(2)/61(2) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 202/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली।

“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

थाना बाबरी पुलिस द्वारा “**ऑपरेशन सवेरा**” **अभियान के क्रम में 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार कब्जे से अवैध 1.306 किलो ग्राम गांजा बरामदः-**

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सहारनपुर के अंतर्गत मादक **पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम** हेतु एक विशेष अभियान **“ऑपरेशन सवेरा : नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर”** चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के क्रम में **पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम** के कुशल निर्देशन, **अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह** के प्रभावी नेतृत्व तथा **क्षेत्राधिकारी थानाभवन** के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 29.08.2025 की रात्रि में थाना बाबरी पुलिस द्वारा **01 मादक पदार्थ तस्कर शक्ति पुत्र युधिष्ठर निवासी ग्राम कैड़ी थाना बाबरी जनपद शामली को अवैध 1.306 किलो ग्राम गांजा सहित** गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बाबरी पर मु0अ0सं0 92/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त शक्ति उपरोक्त के मादक पदार्थो तस्करी के अवैध कारोबार के सम्बन्ध में FORWARD AND BACKWARD LINKS की जांच की जा रही है।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

- शक्ति पुत्र युधिष्ठर निवासी ग्राम कैड़ी थाना बाबरी जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

- अवैध 1.306 किलो ग्राम गांजा।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-</u>

- मु0अ0सं0 92/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम थाना बाबरी जनपद शामली।

“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

*थाना झिंझाना पुलिस द्वारा “**ऑपरेशन सवेरा” अभियान के क्रम में 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार कब्जे से अवैध 02 किलो 200 ग्राम डोडा बरामदः-***

*श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सहारनपुर के अंतर्गत मादक **पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम** हेतु एक विशेष अभियान **“ऑपरेशन सवेरा : नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर”** चलाया जा रहा है।*

इसी अभियान के क्रम में **पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम** के कुशल निर्देशन, **अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह** के प्रभावी नेतृत्व तथा **क्षेत्राधिकारी कैराना** के निकट पर्यवेक्षण में *दिनांक 30.08.2025 की रात्रि में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा **01 मादक पदार्थ तस्कर नदीम पुत्र अनवर निवासी ग्राम सींगरा थाना झिंझाना जनपद शामली को अवैध 02 किलो 200 ग्राम डोडा सहित** गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।* गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 432/2025 धारा 8/15 एनडीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त नदीम उपरोक्त के मादक पदार्थो तस्करी के अवैध कारोबार के सम्बन्ध में FORWARD AND BACKWARD LINKS की जांच की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

- नदीम पुत्र अनवर निवासी ग्राम सींगरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण

- अवैध 02 किलो 200 ग्राम डोडा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

- मु0अ0सं0 432/2025 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
- मु0अ0स0 49/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>थाना थानाभवन पर संचालित साइबर सेवा केन्द्र द्वारा की गयी कार्यवाही में 24,000/- रुपये की धनराशि वापस कराई गईः-</u>

ज्ञात हो आवेदक श्री राजबीर सिंह पुत्र सुक्कड निवासी ग्राम लतीफगढ थाना थानाभवन जनपद शामली द्वारा अपने बैंक खाते से 24,000/- रुपये डेबिट हो जाने के सम्बन्ध में दिनाँक 13.08.2025 को साइबर क्राइम पोर्टल पर आनलाईन शिकायत दर्ज करायी गयी थी।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के निर्देशन में साइबर सेवा केन्द्र थाना थानाभवन साइबर सेवा केन्द्र द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक को पत्राचार कर पीड़ित की 24,000/- रुपये की धनराशि वापसी कराई गई है। आवेदक श्री राजबीर सिंह द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक शामली, साइबर सेवा केन्द्र थाना थानाभवन का आभार व्यक्त किया गया है।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग से छेड़छाड़, जातिसूचक शब्दो का प्रयोग कर मारपीट व धमकी देने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना, शामली द्वारा सुनाई 03 वर्ष के कारावास की सजा एवं 26,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।</u>

वर्ष 2023 में थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त सचिन कुमार पुत्र बारू निवासी ग्राम भारसी थाना काँधला जनपद शामली द्वारा नाबालिग के साथ छेड़छाड़, जातिसूचक शब्दो का प्रयोग कर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने घटना कारित की गयी थी। घटना के संबंध में पीडिता द्वारा थाना कांधला पर लिखित तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इसी **क्रम में आज दिनांक 30.08.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे-स्पेशल पोक्सो कोर्ट कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त** सचिन कुमार पुत्र बारू निवासी ग्राम भारसी थाना काँधला जनपद शामली **को दोषी पाते हुए धारा 354ए भादवि में 03 वर्ष का कारावास व 5000/- रूपये अर्थदंड, धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का कारावास व 1000/- रूपये का अर्थदंड, धारा 506 भादवि में 02 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड, धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम में 03 वर्ष के कारावास की सजा व 5,000/- रूपये का अर्थदंड, धारा 3(2)(v)(a),3(1)(11) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम में 03 वर्ष के कारावास की सजा व 10,000/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।**

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1.सचिन कुमार पुत्र बारू निवासी ग्राम भारसी थाना काँधला जनपद शामली।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>